

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराज०/ 684 /2025-26 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

10 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-गणित-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	सुरेन्द्र सिंह	श्री शिव सिंह	द्वारा श्री ए० एस० सौतियाल, निकट जयश्री कालेज, खत्याड़ी जिला-अल्मोड़ा	सामान्य	22.06.1989	अल्मोड़ा	एम०एस०सी०/बी०ए०	57.50	रा०इ०का० लोहारचौरा, बागेश्वर औपबन्धिक
2	विनोद कुमार काण्डपाल	श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल	18 काण्डा, वासुदेव ससोला काण्डा, बागेश्वर	सामान्य	21.04.1984	बागेश्वर	एम०एस०सी०/बी०ए०	55.00	रा०इ०का० स्यांकुरी, पिथौरागढ़ औपबन्धिक
3	कुन्दन सिंह बोरा	श्री उम्मेद सिंह बोरा	वैशाली कालोनी, रोड नं० 02 बाजपुर रोड काशीपुर उधमसिंहनगर	सामान्य	30.05.1980	उधमसिंह नगर	एम०एस०सी०/बी०ए०	52.25	रा०इ०का० मासी अल्मोड़ा औपबन्धिक
4	मोहित गुप्ता	श्री अशोक कुमार गुप्ता	खत्रिया स्ट्रीट, निकट सरस्वती टाईप सेंटर, काशीपुर उधमसिंहनगर	सामान्य	11.02.1980	उधमसिंह नगर	एम०एस०सी०/बी०ए०	49.50	रा०उ०मा०वि० चामाचौड़ पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराज०/ 685 /2025-28 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4800) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिदीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-182 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

10 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-गणित-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	शाकिर हुसैन	श्री साबिर हुसैन	मोहल्ला-नई बस्ती, जसपुर जिला-उधमसिंहनगर	अ०पि०वर्ग/85829/21.04.22/जसपुर	26.06.1981	उधमसिंह नगर	एम०एस०सी०/बी०एड०	48.50	रा०उ०मा०वि० बुरसुम पिथौरागढ़ औपबन्धिक
2	पंकज कुमार	श्री गुमानी राम	ग्राम-पीपलतार, पो०-मुवानी जिला-पिथौरागढ़	अनु० जाति/02583/31.08.21/थल, पिथौरागढ़	11.04.1993	पिथौरागढ़	एम०एस०सी०/बी०एड०	47.50	रा०उ०मा०वि० कोटाखड़िक पिथौरागढ़ औपबन्धिक
3	विजय चन्द्र आर्या	श्री कैलाश चन्द्र आर्या	ग्राम-भड़गोव, पो०-चौबटिया, रानीखेत अल्मोड़ा	अनु० जाति/14627/01.11.20/रानीखेत	18.06.1993	अल्मोड़ा	बी०एस०सी०/बी०एड०	39.25	रा०उ०मा०वि० कैड़ागोव नैनीताल औपबन्धिक
4	रश्मि भोटिया	श्री बंटी राम	ग्राम-दणगाणगोव, प्रगतिनगर नैटवाल उत्तरकाशी	अनु० जनजाति/79057/30.03.24/मोरी	29.04.1994	उत्तरकाशी	बी०एस०सी०/बी०एड०	35.00	रा०उ०मा०वि० कजीनापुनौली चम्पावत औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02

7218-39

विद्यालय.....

—02—
/2025-26 दिनांक उक्तवत्।

कृष्ण/सेवा-3क(2)/अराजक/

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
- 05- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 07- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
- 08- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
- 09- सम्बन्धित संस्थापक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—
- (क)- अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भाँति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
- (ख)- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
- (ग)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा0 न्यायालय में कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा।
- (घ)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0-गणित) हेतु निम्नानुसार कर ली जाय—
- (1)-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) गणित एवं (दो) भौतिक विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि परन्तु तृतीय वर्ष में यथित अथवा भौतिकी विज्ञान विषय तथा प्रथम दो वर्षों में गणित तथा भौतिकी विषय अनिवार्य रूप से रहे हों।
- (2)-किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।

अथवा

(1)-एन0सी0ई0आर0टी0 के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) गणित एवं (दो) भौतिक विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।

- (द)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थायी निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
- (च)- अभ्यर्थी की आयु 01-07-2024 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।
- (छ)- निश्कतता की स्थिति में निश्कतता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं _____ पद _____ विद्यालय _____ एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0 _____ पद _____ विषय _____ को दिनांक _____ के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0-संस्थाध्यक्ष _____

पूरा नाम _____

पद एवं सील _____

- 10- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थापक के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2-प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चरित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)
- 11- कार्यालय आदेश पंजीकृत।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री _____ सहायक अध्यापक _____ विद्यालय _____ एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा किये गये स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी।

प्रतिस्वाक्षरित _____
सम्बन्धित _____हस्ताक्षर _____
नाम _____
पदनाम _____
विद्यालय _____

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराज०/ 686 / 2025-28 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4800) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवर्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-गणित-(महिला शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	मानसी चौहान	श्री संजय कुमार	प्रिंस हार्डवेयर काशीपुर रोड जसपुर उधमसिंहनगर	सामान्य	14.09.2001	उधमसिंह नगर	बी०एस०सी०/बी०एड०	56.00	रा०क०इ०का० सोमेश्वर, अल्मोड़ा औपबन्धिक
2	मीनाक्षी तिवारी	श्री राकेश तिवारी	निकट विद्या स्टेशनर्स कारखाना बाजार अल्मोड़ा	सामान्य	23.08.2000		बी०एस०सी०/बी०एड०	54.50	रा०क०उ०मा०वि० दुंगरा अल्मोड़ा औपबन्धिक
3	एकता चौहान	श्री हरपाल सिंह	निकट शशांक हेल्थ सेंटर फौजी मोड़ कविनगर वार्ड नं० 6 काशीपुर उधमसिंहनगर	सामान्य	12.07.2000	उधमसिंह नगर	बी०एस०सी०/बी०एड०	52.25	रा०क०इ०का० खेतीखान चम्पावत औपबन्धिक
4	कविता जोशी	श्री दयाकिशन जोशी	गली नं० 01 जे, शान्तिकुंज रामनगर नैनीताल	ई०डब्ल्यू०एस०/6045/01.05.23/रामनगर	13.08.1993	नैनीताल	बी०एस०सी०/बी०एड०	52.00	रा०क०इ०का० पुरड़ा बागेश्वर औपबन्धिक


 (गजेन्द्र सिंह सौन)
 मण्डलीय अपर निदेशक
 (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
 क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराज०/ 687 /2025-28 दिनांक अक्टूबर, 2025

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-गणित-(महिला शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	दीपा	श्री राजेन्द्र सिंह नेगी	ग्राम-गुदलेख जिला-अल्मोड़ा	सामान्य	01.07.1995	अल्मोड़ा	बी०एस०सी०/बी०एड०	51.75	रा०क०इ०का० गणाई-गांगोली पिथौरागढ़ औपबन्धिक
2	हिमानी	श्री बीरेन्द्र सिंह रावत	द्वारा विकास रावत, बौगनविला, किददूवाला रायपुर देहरादून	अ०पि०वर्ग/571 31/26.08. 2023/पौड़ी	02.07.1994	पौड़ी गढ़वाल	एम०एस०सी०/बी०एड०	49.25	रा०क०उ०मा०वि० बासोट, अल्मोड़ा औपबन्धिक
3	दिव्या गोस्वामी	श्री गोविन्द गोस्वामी	न्यू कालोनी जवाहरनगर पो०-डेयरी फार्म नगला उधमसिंहनगर	अ०पि०वर्ग/567 18/15.03. 22/किच्छा	18.09.1998	उधमसिंह नगर	बी०एस०सी०/बी०एड०	49.00	रा०क०इ०का० ऐठाण, बागेश्वर औपबन्धिक
4	प्रियंका तलाड़िया	श्री दीवान राम	ग्राम-तलाड़,पो०-सयालीधार अल्मोड़ा	अनु० जाति/18272/21.02. 19/अल्मोड़ा	24.06.1998	अल्मोड़ा	बी०एस०सी०/बी०एड०	45.25	रा०क०उ०मा०वि० तामानीली, पिथौरागढ़ औपबन्धिक
5	यामिनी आर्या	श्री पीताम्बर आर्या	खिमुवापीपल कोटाबाग नैनीताल	अनु० जाति/2016/22.03. 16/कालादूँगी	11.06.1998	नैनीताल	एम०एस०सी०/बी०एड०	43.75	रा०क०इ०का० नमजला, पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

पू0स0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 04- सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
 05- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
 06- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
 07- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
 08- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अम्पथी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें-
 (क)- अम्पथी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भाँति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ख)- अम्पथी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ग)- अम्पथी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अम्पथी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अम्पथी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अम्पथी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अम्पथी मा0 न्यायालय में कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा।

(घ)- अम्पथी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्रावधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0-गणित) हेतु निम्नानुसार कर ली जाय-

- (1)-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) गणित एवं (दो) भौतिक विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि परन्तु तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिकी विज्ञान विषय तथा प्रथम दो वर्षों में गणित तथा भौतिकी विषय अनिवार्य रूप से रहे हों।
 (2)-किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।

अथवा

- (1)-एन0सी0ई0आर0टी0 के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) गणित एवं (दो) भौतिक विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।

(अम्पथी को स0अ0एल0टी0-गणित के पद पर नियुक्ति हेतु सी0टी0ई0टी0-2/यू0टी0ई0टी0-2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)

(ङ)- जाति प्रमाण पत्र अम्पथी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अम्पथी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च)- अम्पथी की आयु 01-07-2024 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ)- निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अम्पथी/अम्पथिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अम्पथी/अम्पथिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0-संस्थाध्यक्ष

पूरा नाम

पद एवं सील

- 10- सम्बन्धित अम्पथी/अम्पथिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अम्पथी/अम्पथिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2-प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अम्पथी/अम्पथिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उससे विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

11- कार्यालय आदेश पंजीकृत।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी।
 प्रतिहस्ताक्षरित.....हस्ताक्षर.....
 संस्थाध्यक्ष.....नाम.....
 पदनाम.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराज०/ 688 /2025-26 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्राशासित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती -गणित-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	कुन्दन सिंह	श्री पुष्कर सिंह	नैकाना खुमटिया बागेश्वर उत्तराखण्ड	ई०डब्ल्यू०एस०/ 20384/ 12.07. 23/ गरुड़	03.04.1997	बागेश्वर	बी०एस०सी०/ बी०एड०	65.75	रा०इ०का० चौड़मन्या, पिथौरागढ़ औपबन्धिक
2	संजय रावत	श्री किशन सिंह रावत	फैण्डस कालोनी मल्ली बमौरी दो नहरिया हल्द्वानी नैनीताल	सामान्य	22.01.1998	अल्मोड़ा	एम०एस०सी०/ बी०एड०	65.50	रा०इ०का० मुनस्यारी, पिथौरागढ़ औपबन्धिक
3	मनीष सिंह खाती	श्री राम सिंह खाती	ग्राम-उडियार, पो०-जारती, तहसील-दुगनाकुरी बागेश्वर	ई०डब्ल्यू०एस०/ 31551/ 15.09. 23/ दुगनाकुरी	03.11.1998	बागेश्वर	एम०एस०सी०/ बी०एड०	62.75	रा०इ०का० मुवानी पिथौरागढ़ औपबन्धिक
4	सूरज सिंह रावल	श्री देव सिंह रावल	रावतगाँव, विषाड़, पिथौरागढ़	ई०डब्ल्यू०एस०/ 6440/ 09.04. 24/ पिथौरागढ़	15.03.1998	पिथौरागढ़	बी०एस०सी०/ बी०एड०	62.50	रा०उ०मा०वि० सिंगदा, चम्पावत औपबन्धिक
5	अजय सिंह मेहता	श्री भवान सिंह मेहता	ग्राम-खकोरा, पो०-चन्दारैगढ़ चम्पावत	सामान्य	09.07.1998	चम्पावत	बी०एस०सी०/ बी०एड०	61.50	रा०इ०का० रौंधी, धारचूला पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (भा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवा-3क(2)/अराज०/ 609 /2025-26 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञापन/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्राशस्तित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में विहित प्रावधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०अ०अ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त करीबता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०डी०-स्नातक वेतनक्रम (पुस्तक 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) तथा वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अधवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में जोड़ित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में जोड़ित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती -गणित-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	ब्रिजेश कुमार उपाध्याय	श्री देवेन्द्र कुमार उपाध्याय	ग्राम-खोली, तहसील-डीडीहाट पिथौरागढ़	सामान्य	29.07.1997	पिथौरागढ़	बी०एस०सी०/बी०ए०	61.25	रा०इ०का० बदियाकोट, बागेश्वर औपबन्धिक
2	पूजा नैनवाल	श्री गोविन्द सिंह	प्राइमरी हेल्थ सेंटर ज्योलीकोट नैनीताल	सामान्य	07.09.1993	अल्मोड़ा	एम०एस०सी०/बी०ए०	60.75	रा०इ०का० नैनवालपाली, अल्मोड़ा औपबन्धिक
2	मनीष पन्त	श्री भगवती प्रसाद पन्त	ग्राम-बासेत, पो०-नागौर, पिथौरागढ़	सामान्य	18.08.2001	पिथौरागढ़	बी०एस०सी०/बी०ए०	60.75	रा०इ०का० बघर बागेश्वर औपबन्धिक
4	हर्षिता चौहान	श्री जितेन्द्र कुमार	लक्ष्मीनगर कालोनी जसपुर उधमसिंहनगर	सामान्य	07.09.2000	उधमसिंह नगर	एम०एस०सी०/बी०ए०	59.75	रा०इ०का० रमक चम्पावत औपबन्धिक
5	निर्मल सिंह कन्याल	श्री रघुवर सिंह कन्याल	महतगौव कनालीछीना पिथौरागढ़	ई०डब्ल्यू०एस०/416546/27.12.23/कनालीछीना	06.10.1998	पिथौरागढ़	बी०एस०सी०/बी०ए०	58.75	रा०इ०का० माजखेत, बागेश्वर औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सीन)

मण्डलीय अपर निदेशक

(माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराज०/ 690 /2025-26 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्राशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती -गणित-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	पंकज सिंह रावत	श्री सत्येन्द्र सिंह रावत	गुथोली, उन्पूड़ा अल्मोड़ा	सामान्य	26.06.1996	अल्मोड़ा	एम०एस०सी०/बी०एड०	57.75	रा०इ०का० बरम, पिथौरागढ़ औपबन्धिक
2	अंकित सकलानी	श्री राजेश्वर प्रसाद सकलानी	ग्राम-लम्बार, पो०-मयाली रुद्रप्रयाग	सामान्य	19.07.1996	रुद्रप्रयाग	एम०एस०सी०/बी०एड०	57.50	रा०उ०मा०वि० तल्लाधामीगाँव पिथौरागढ़ औपबन्धिक
3	सचिन सिंह पैलूड़ा	श्री रवीन्द्र सिंह पैलूड़ा	ग्राम-कोलू, पो०-चोपता जाखनी, रुद्रप्रयाग	सामान्य	16.04.1998	रुद्रप्रयाग	बी०एस०सी०/बी०एड०	57.25	रा०उ०मा०वि० लमचूला, बागेश्वर औपबन्धिक
4	चन्दन सिंह बंगारी	श्री दयाल सिंह बंगारी	ग्राम-पराथोला, पो०-रोतापानी मासी अल्मोड़ा	ई०डब्ल्यू०एस०/7087/04.05.23/स्याल्दे	08.08.1993	अल्मोड़ा	बी०एस०सी०/बी०एड०	57.00	रा०उ०मा०वि० छारछुम पिथौरागढ़ औपबन्धिक
5	मनोज सिंह धामी	श्री योगेन्द्र सिंह धामी	ग्राम व पो०-जुम्मा, धारचूला पिथौरागढ़	अ०पि०वर्ग/89375/29.09.23/धारचूला	02.10.1996	पिथौरागढ़	एम०एस०सी०/बी०एड०	57.00	रा०उ०मा०वि० खलझूनी, बागेश्वर औपबन्धिक


(गजेन्द्र सिंह सैन)
 मण्डलीय अपर निदेशक
 (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
 क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराज०/ 691 /2025-26 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्राशासित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-182 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती -गणित-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	जीवन शर्मा	श्री मोहन चन्द शर्मा	हरिनगर, पो०-हरिपुरनायक ऊँचापुल हल्द्वानी नैनीताल	सामान्य	29.09.1991	नैनीताल	बी०एस०सी०/बी०एड०	56.75	रा०इ०का० मल्लामैसाकोट, पिथौरागढ़ औपबन्धिक
2	लोकेश सिंह मैसोड़ा	श्री शंकर सिंह मैसोड़ा	ग्राम-बलतीर, पो०-थल पिथौरागढ़	ई०डब्ल्यू०एस०/13699/07.05.24/थल	01.07.1996	पिथौरागढ़	एम०एस०सी०/बी०एड०	56.75	रा०इ०का० चौड़ास्थल बागेश्वर औपबन्धिक
3	प्रियव्रत गौड़	श्री विश्वेश्वर प्रसाद गौड़	म०न० 63सी, शास्त्रीनगर एक्सटेंशन विधानसमारोड पो०-डिफेंस कालोनी, देहरादून	सामान्य	15.07.1996	पौड़ी गढ़वाल	एम०एस०सी०/बी०एड०	56.75	रा०उ०मा०वि० सेरा पिथौरागढ़ औपबन्धिक
4	दिनेश चन्द जोशी	श्री गिरीश चन्द्र जोशी	कालीखोली रोड, द्वाराहाट अल्मोड़ा	सामान्य	05.07.1984	अल्मोड़ा	बी०एस०सी०/बी०एड०	56.50	रा०इ०का० खतेड़ा पिथौरागढ़ औपबन्धिक
5	सुनील चन्द गहतोड़ी	श्री रमेश चन्द गहतोड़ी	ग्राम-गहतोड़ा, पो०-दयूनाघाट पाटी, चम्पावत	सामान्य	16.08.1990	चम्पावत	एम०एस०सी०/बी०एड०	56.25	रा०उ०मा०वि० कनार पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)

मण्डलीय अपर निदेशक

(माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 692 /2025-26 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-4400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती -गणित-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	विवेक उनियाल	श्री राजेश उनियाल	देवीधर बादशाहीथल चम्बा टिहरी गढ़वाल	सामान्य	03.10.1992	टिहरी गढ़वाल	बी0एस0सी0/बी0एड0	56.25	रा0इ0का0 गैरखेत, अल्मोड़ा औपबन्धिक
2	गौरव सती	श्री सुरेश चन्द्र सती	ग्राम व पो0-उपराड़ी, रानीखेत अल्मोड़ा	ई0डब्ल्यू0एस0/5869/20.04.23/रानीखेत	09.08.1999	अल्मोड़ा	एम0एस0सी0/बी0एड0	56.25	रा0उ0मा0वि0 ग्वाल, पिथौरागढ़ औपबन्धिक
3	सुयश बिष्ट	श्री पूरन सिंह	टुण्डाचौरी, पो0-कण्डाराछीना गंगोलीहाट पिथौरागढ़	सामान्य	13.02.1999	पिथौरागढ़	एम0एस0सी0/बी0एड0	56.00	रा0उ0मा0वि0 बसरखेत, अल्मोड़ा औपबन्धिक
4	सन्तोष सिंह	श्री मोहन सिंह	14-कालीगाड़, बागेश्वर	ई0डब्ल्यू0एस0/4145/29.04.23/काफलीगैर	10.03.1995	बागेश्वर	बी0एस0सी0/बी0एड0	55.75	रा0इ0का0 जुम्मा पिथौरागढ़ औपबन्धिक
5	आशीष कुमार	श्री महेन्द्र राम	ग्राम-पो0-पार्से पिथौरागढ़	अनु0 जाति/39942/04.02.22/पिथौरागढ़	24.09.2000	पिथौरागढ़	बी0एस0सी0/बी0एड0	55.50	रा0इ0का0 चौड़ामेहता चम्पावत औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 693 /2025-26 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्राशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0सं0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती -गणित-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	धीरज कुमार	श्री सुरेश चन्द्र	निकट जी0आई0सी0 बाराकोट चम्पावत	ई0डब्ल्यू0एस0/ 39919/ 18.11. 23/ बाराकोट	30.06.1989	चम्पावत	बी0एस0सी0/ ब 10एड0	55.25	रा0इ0का0 डम्डे पिथौरागढ़ औपबन्धिक
2	उन्नति जोशी	श्री बृजेन्द्र जोशी	बेणी माधव वाई चौरासी, बागेश्वर	सामान्य	18.05.1996	बागेश्वर	एम0एस0सी0/ बी0एड0	55.25	रा0इ0का0 बनलेख, बागेश्वर औपबन्धिक
3	विनय पाण्डे	श्री पुष्कर दत्त पाण्डे	म0न0 217/ शिवालिक हॉस्टल, दून यूनिवर्सिटी देहरादून	सामान्य	10.08.1997	देहरादून	एम0एस0सी0/ बी0एड0	55.25	रा0इ0का0 होकरा, पिथौरागढ़ औपबन्धिक
4	बृजेश चन्द्र	श्री रमेश चन्द्र जोशी	ग्राम-विजयपुर, पो0-बुरजौला, तलवाड़ी चमोली	सामान्य	29.11.1993	चमोली	एम0एस0सी0/ बी0एड0	55.00	रा0इ0का0 रातिरकेटी, बागेश्वर दुर्गम
5	सन्तोष भट्ट	श्री चन्द्रशेखर भट्ट	पचपखरिया, बनबसा चम्पावत	ई0डब्ल्यू0एस0/ 131/ 27.04. 23/ पूर्णागिरी	27.06.1996	चम्पावत	बी0एस0सी0/ ब 10एड0	54.75	रा0इ0का0 पैयापीड़ी पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)

मण्डलीय अपर निदेशक

(माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवाएँ 3क(2)/अराज०/ 694 /2025-26 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्राशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती -गणित-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	दीपक गौड़	श्री लक्ष्मी दत्त गौड़	ग्राम व पो०-बसुकेदार तहसील-जखोली रुद्रप्रयाग	सामान्य-दिव्यांग 16/02.05. 22/रुद्रप्रयाग 40 प्रतिशत	04.07.1986	रुद्रप्रयाग	एम०एस०सी०/बी०एड०	54.25	रा०इ०का० कर्मी, बागेश्वर औपबन्धिक
2	राखी बिष्ट	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट	बास्ते धनौरा, पो०-सिलथाम पिथौरागढ़	सामान्य	15.08.1991	पिथौरागढ़	बी०एस०सी०/बी०एड०	54.00	रा०इ०का० पुरानाथल, पिथौरागढ़ औपबन्धिक
3	मनीषा शाही	श्री गोविन्द सिंह शाही	ग्राम-चूरिया लीली, कपकोट बागेश्वर	ई०डब्ल्यू०एस०/ 32242/14.09. 23/कपकोट	04.06.1994	बागेश्वर	एम०एस०सी०/बी०एड०	54.00	रा०इ०का० स्याकोट, बागेश्वर औपबन्धिक
4	रंजीत सिंह कार्की	श्री आनन्द सिंह कार्की	ग्राम-तेलमिनारी पो०-बिनता द्वाराहाट अल्मोड़ा	ई०डब्ल्यू०एस०/ 1172/31.01. 24/द्वाराहाट	04.07.1983	अल्मोड़ा	एम०ए० गणित/बी०एड०	53.75	रा०इ०का० गलाती, पिथौरागढ़ औपबन्धिक
5	नवीन सजवान	श्री हर्षपाल सिंह	भटवाड़ी सुनार चन्द्रपुरी रुद्रप्रयाग	ई०डब्ल्यू०एस०/ 194/21.07. 23/ऊखीमठ	04.01.1989	रुद्रप्रयाग	बी०एस०सी०/बी०एड०	53.75	रा०इ०का० झलतोला, पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेंद्र सिंह सौन)

मण्डलीय अपर निदेशक

(माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 695 /2025-28 दिनांक/2 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्राशासित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती -गणित-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	अंकित कुमार मिश्रा	श्री शिव कुमार मिश्रा	निकट प्राथमिक विद्यालय हरियावाला काशीपुर उधमसिंहनगर	ई0डब्ल्यू0एस0/ 6795/08.05. 23/काशीपुर	05.04.1997	उधमसिंह नगर	एम0एस0सी0/ बी0एड0	53.75	रा0इ0का0 दन्या अल्मोड़ा औपबन्धिक
2	हेमन्त कुमार	श्री बसन्त लाल	निकट देवी मंदिर बिलौनासेरा बागेश्वर	अनु0 जाति/ 00597/ 03.08. 13/बागेश्वर	08.06.1998	बागेश्वर	एम0ए0/बी0एड0	53.75	रा0इ0का0 पद्माधार पिथौरागढ़ औपबन्धिक
3	दीक्षा दुर्गापाल	श्री सतीश चन्द्र दुर्गापाल	मौहल्ला बक्शीखोला, मालरोड अल्मोड़ा	सामान्य	15.10.1998	अल्मोड़ा	बी0एस0सी0/ब 10एड0	53.50	रा0इ0का0 मनसारीनालाचौड़ा अल्मोड़ा औपबन्धिक
4	रोहित पाण्डे	श्री प्रयाग दत्त पाण्डे	ग्राम-कुमालेश्वर, देघाट, अल्मोड़ा	ई0डब्ल्यू0एस0/ 31190/10.09. 23/स्याल्दे	25.05.1999	अल्मोड़ा	एम0एस0सी0/ बी0एड0	53.25	रा0इ0का0 चौरपाल पिथौरागढ़ औपबन्धिक
5	आशीष भण्डारी	श्री इलम सिंह	ग्राम व पो0-मानपुर उत्तरकाशी	अ0पि0वर्ग/ 452 89/07.02. 22/भटवाड़ी	03.07.1999	उत्तरकाशी	बी0एस0सी0/ब 10एड0	53.25	रा0इ0का0 नौगाँवरीठागाड़, अल्मोड़ा औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सीन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराज०/ 696 /2025-26 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्राशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख रतम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती -गणित-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	नूतन पाण्डे	श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे	ग्राम-चितई पन्त, पो०-चितई, अल्मोड़ा	सामान्य	12.02.1997	अल्मोड़ा	बी०एस०सी०/ब००एड०	53.00	रा०उ०मा०वि० चमुवाँ, अल्मोड़ा औपबन्धिक
2	पूजा बर्मन	श्री निपेन्द्र बर्मन	एल०एम०-08, गली नं० 11-12, सिंह कालोनी रुद्रपुर उधमसिंहनगर	सामान्य	28.09.1995	उधमसिंह नगर	एम०एस०सी०/बी०एड०	52.75	रा०इ०का० रौसाल, चम्पावत औपबन्धिक
3	अल्का खाती	श्री रमेश सिंह खाती	ग्राम-पापड़ा, पो०-सिलोरमहादवे रानीखेत अल्मोड़ा	सामान्य	04.04.1996	अल्मोड़ा	बी०एस०सी०/ब००एड०	52.75	रा०उ०मा०वि० महरगाँव अल्मोड़ा औपबन्धिक
4	दीपक नाथ	श्री दुर्गा नाथ	ग्राम-चौकुना, पो०-बिरखम जैती अल्मोड़ा	अ०पि०वर्ग/618 90/12.03. 24/जैती	28.06.1997	अल्मोड़ा	एम०एस०सी०/बी०एड०	52.75	रा०इ०का० चिटगल, पिथौरागढ़ औपबन्धिक
5	अभिषेक चौधरी	श्री सुनील कुमार	ग्राम गदरजुड़ा पो०-मंगलौर रुड़की हरिद्वार	अ०पि०वर्ग/797 05/20.07. 22/रुड़की	29.07.1999	हरिद्वार	एम०एस०सी०/बी०एड०	52.75	रा०इ०का० डोर पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराज०/ 697 /2025-28 दिनांक 12-अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्राशासित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती -गणित-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	कुन्दन नाथ गोस्वामी	श्री गोविन्द नाथ गोस्वामी	ग्राम-अयारतोली पो०-डंगोली बागेश्वर	अ०पि०वर्ग/198 77/09.08. 21/गरुड़	19.07.1993	बागेश्वर	एम०एस०सी०/ बी०एड०	52.50	रा०इ०का० प्रेमनगर पिथौरागढ़ औपबन्धिक
2	दीपा असवाल	श्री पान सिंह	असौ मल्लाकोट काफलीगैर बागेश्वर	सामान्य	10.02.1994	बागेश्वर	बी०एस०सी०/ब १०एड०	52.50	रा०इ०का० सलानी, बागेश्वर औपबन्धिक
3	निक्की कन्याल	श्री रघुवर सिंह कन्याल	20-महतगौव, कनालीछीना पिथौरागढ़	सामान्य	10.07.1997	पिथौरागढ़	बी०एस०सी०/ब १०एड०	52.50	रा०इ०का० सेराघाट पिथौरागढ़ औपबन्धिक
4	अजय कुमार	श्री अनूप सिंह	ग्राम-ददेखीधना, मुजाहिदपुर, लक्सर हरिद्वार	अ०पि०वर्ग/737 31/18.07. 22/लक्सर	07.12.1998	हरिद्वार	बी०एस०सी०/ब १०एड०	52.50	रा०उ०मा०वि० पोखरी पिथौरागढ़ औपबन्धिक
5	विमा गुरुरानी	श्री योगेश चन्द्र गुरुरानी	ग्राम-कुरियागौव, पो०-लामाचौड़ हल्द्वानी नैनीताल	सामान्य	13.12.1990	नैनीताल	बी०एस०सी०/ब १०एड०	52.25	रा०इ०का० दशलेख चम्पावत औपबन्धिक


 (गजेन्द्र सिंह सौन)
 मण्डलीय अपर निदेशक
 (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
 क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवाएं 3क(2)/अराज0/ 698 /2025-26 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0ब0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल्0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती -गणित-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	अंजू महारा	श्री विक्रम सिंह	राईआगर गंगोलीहाट रोड पिथौरागढ़	ई0डब्ल्यू0एस0/5186/01.04.24/गंगोलीहाट	15.07.1996	पिथौरागढ़	एम0एस0सी0/बी0एड0	52.25	रा0इ0का0 तामानीली पिथौरागढ़ औपबन्धिक
2	नीलम पाण्डे	श्री नवीन चन्द्र पाण्डे	एंचोली पिथौरागढ़	सामान्य	11.07.1992	पिथौरागढ़	बी0एस0सी0/बी0एड0	51.75	रा0इ0का0 सिंगाली पिथौरागढ़ औपबन्धिक
3	सवी वर्मा	श्री उदित वर्मा	कुमुदित विला, वृन्दावन विहार कुसुमखेड़ा हरिपुरनायक नैनीताल	अ0पि0वर्ग/92187/08.04.24/हल्द्वानी (पति के नाम से)	14.10.1992	नैनीताल	एम0एस0सी0/बी0एड0	51.75	रा0इ0का0 बन्तोली, बागेश्वर औपबन्धिक
4	आकाश कुमार	श्री छत्रपाल सिंह	ग्राम-गूलरगौजी, पो0-धरमपुर जसपुर उधमसिंहनगर	अनु0 जाति/1816/23.08.13/जसपुर	08.03.1999	उधमसिंह नगर	एम0एस0सी0/बी0एड0	51.50	रा0उ0मा0वि0 डीडा पिथौरागढ़ औपबन्धिक
5	गणेश चन्द्र सिंह	श्री हयात सिंह	नीलकंठ विहार चीनपुर पो0-हरिपुरनायक हल्द्वानी नैनीताल	सामान्य-मू0सी0/15703022एच	04.03.1984	नैनीताल	बी0एस0सी0/बी0एड0	51.25	रा0इ0का0 जयकोट पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सीन)

मण्डलीय अपर निदेशक

(माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमार्क मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराज०/ 699 /2025-28 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4800) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-182 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-892/2025 के अधीन रहेगा।

80 प्रतिशत सीधी भर्ती -गणित-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	लक्षिका वर्मा	श्री शंकर लाल वर्मा	ग्राम-मल्ली बसई, पो०-दशाईथल गंगोलीहाट पिथौरागढ़	अ०पि०वर्ग/770 42/28.03. 24/गंगोलीहाट	20.12.1998	पिथौरागढ़	एम०एस०सी०/बी०एड०	51.25	रा०इ०का० बनकोट पिथौरागढ़ औपबन्धिक
2	नवनीत कुमार	श्री कैलाश सिंह	म०न० 348, मीहल्ला-गुजरातिया, निकट-गांधीपार्क जसपुर उधमसिंहनगर	अनु० जाति/00027/03.01. 14/जसपुर	12.07.2000	उधमसिंह नगर	बी०एस०सी०/बी०एड०	50.00	रा०उ०मा०वि० सेलमाली, पिथौरागढ़ औपबन्धिक
3	हरीश सिंह पापड़ा	श्री शेर सिंह पापड़ा	ग्राम-पापड़ी, पो०-सेविला, मुनस्यारी पिथौरागढ़	अनु० जनजाति/129 /27.05. 15/मुनस्यारी	02.05.1997	पिथौरागढ़	बी०एस०सी०/बी०एड०	49.50	रा०इ०का० सनगाढ़ बागेश्वर औपबन्धिक
4	नीरा धामी	श्री राजेन्द्र सिंह धामी	ग्राम व पो०-स्याकुंरी धुमाली, धारचूला पिथौरागढ़	अ०पि०वर्ग/195 28/20.11. 21/धारचूला	13.06.1992	पिथौरागढ़	एम०एस०सी०/बी०एड०	49.25	रा०उ०मा०वि० खुमती, पिथौरागढ़ औपबन्धिक
5	दीप चन्द्र	श्री सोबन राम	ग्राम व पो०-ज्योली अल्मोड़ा	अनु० जाति/28498/24.01. 22/अल्मोड़ा	20.08.1998	अल्मोड़ा	बी०एस०सी०/बी०एड०	49.25	रा०इ०का० सोराग बागेश्वर औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सीन)

मण्डलीय अपर निदेशक

(माध्यमिक शिक्षा)

कुमार्क मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 700 /2025-28 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती -गणित-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	मोहित कुमार	श्री मोहन राम टम्टा	म0न0 65/ ग्राम-वैशाली पो0-जखेड़ी पिथौरागढ़	अनु0 जाति/ 1074/ 2 5.08. 14/ गंगोलीहाट	04.07.1998	पिथौरागढ़	एम0एस0सी0/ बी0एड0	49.00	रा0इ0का0 नामतीचेटाबगड़, बागेश्वर औपबन्धिक
2	राजेन्द्र कुमार	श्री ओम प्रकाश	ग्राम-पाखुड़ा, पो0-उपराड़ी रानीखेत अल्मोड़ा	अनु0 जाति/ 00618/ 20.07. 10/ रानीखेत	21.10.1996	अल्मोड़ा	एम0एस0सी0/ बी0एड0	48.25	रा0उ0मा0वि0 गुइयां पिथौरागढ़ औपबन्धिक
3	रवि कुमार	श्री पूरन राम	पन्यूड़ा, अल्मोड़ा	अनु0 जाति/ 351/ 01. 08.11/ सोमेश्वर	04.03.1994	अल्मोड़ा	एम0एस0सी0/ बी0एड0	44.50	रा0उ0मा0वि0 सिमलखेत चम्पावत औपबन्धिक
4	प्रियंका	श्री राजकुमार	मोहल्ला भूप सिंह निकट काली मंदिर जसपुर उधमसिंहनगर	अनु0 जाति/ 1912/ 2 9.09.15/ जसपुर	06.08.2000	उधमसिंह नगर	बी0एस0सी0/ बी0एड0	44.50	रा0इ0का0 मूलाकोट चम्पावत औपबन्धिक
5	भाष्करानन्द	श्री उमेद राम	ग्राम-बैडाओड़, पो0-इजरा, चम्पावत	अनु0 जाति/ 6115/ 1 5.07. 21/ बाराकोट	15.07.1990	चम्पावत	बी0एस0सी0/ बी0एड0	44.25	रा0इ0का0 गौधीनगर पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 701 /2025-26 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0सं0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4800) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती -गणित-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	हेम कुमार	श्री हरी राम	ग्राम-कोटयूडा, पो0-तिमिलखाल चौखुटिया अल्मोड़ा	अनु0 जाति/121/28. 01. 11/चौखुटिया	08.06.1994	अल्मोड़ा	एम0एस0सी0/ बी0एड0	44.00	रा0उ0मा0वि0 जाराजिबली, पिथौरागढ़ औपबन्धिक
2	करिश्मा	श्री गणेश टम्टा	पुलिस लाइन रोड निकट सिंघाई कालोनी पिथौरागढ़	अनु0 जाति/1165/2 3.07. 12/पिथौरागढ़	01.07.1998	पिथौरागढ़	बी0एस0सी0/ बी0एड0	2.50	रा0इ0का0 मदकोट, पिथौरागढ़ औपबन्धिक
3	ज्योति टम्टा	श्री केशव दत्त टम्टा	ग्राम-सैनी, पो0-गराली, बंगापानी पिथौरागढ़	अनु0 जाति/143/21. 06.16/बंगापानी	01.12.1995	पिथौरागढ़	एम0एस0सी0/ बी0एड0	41.75	रा0इ0का0 लुमती पिथौरागढ़ औपबन्धिक
4	सुशीला	श्री बंशी लाल	ग्राम-किमतोला पो0-धापना, पिथौरागढ़	अनु0 जाति/95552/ 30.07. 22/गणाईगंगोल 1	09.11.1993	पिथौरागढ़	बी0एस0सी0/ बी0एड0	41.50	रा0इ0का0 पिल्खी पिथौरागढ़ औपबन्धिक


 (गजेन्द्र सिंह सैनी)
 मण्डलीय अपर निदेशक
 (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
 क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराज०/ 702 /2025-26 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती -गणित-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	दीप्ति राणा	श्री सुरेश बाबू राणा	ग्राम-चौमेल बमनपुरी सितारगंज उधमसिंहनगर	अनु० जनजाति/0042 7/03.08. 12/सितारगंज	05.07.1998	उधमसिंह नगर	एम०एस०सी०/ बी०एड०	40.25	रा०इ०का० मंच, चम्पावत औपबन्धिक
2	अनुराग जोशी	श्री सुभाष चन्द	ग्राम व पोस्ट-मुन्धौल, तहसील-त्यूनी देहरादून	अनु० जनजाति/1352 5/18.10. 18/त्यूनी	20.06.2000	देहरादून	बी०एस०सी०/ब ी०एड०	39.50	रा०इ०का० बिनवालगाँव चम्पावत औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

90सी0/सेवाए-3क(2)/अराज0/

7262-7826

-02-
/2025-26 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 04- सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा घयन आयोग देहरादून।
 05- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
 06- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
 07- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
 08- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
 09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें-

- (क)- अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की मूला-मौलिक जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
 (ख)- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
 (ग)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा0 न्यायालय में कोई वाद/कलेम प्रस्तुत नहीं करेगा।
 (घ)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(पृथकसंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्रावधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (संशोधन) हेतु निम्नानुसार कर ली जाय-
 (1)-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) गणित एवं (दो) भौतिक विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि परन्तु तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिकी विज्ञान विषय तथा प्रथम दो वर्षों में गणित तथा भौतिकी विषय अनिवार्य रूप से रहे हों।
 (2)-किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0ए0 की उपाधि।

अथवा

- (1)-एन0सी0ई0आर0टी0 के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) गणित एवं (दो) भौतिक विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।

(अभ्यर्थी को स0अ0एल0टी0-गणित के पद पर नियुक्ति हेतु सी0टी0ई0टी0-2/यू0टी0ई0टी0-2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।)

- (ङ)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थायी निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के अन्तर्गत पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
 (च)- अभ्यर्थी की आयु 01-07-2024 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।
 (छ)- निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती ढाक से अघोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं _____ पद _____ विद्यालय _____ एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु _____ पद _____ विषय _____ को दिनांक _____ के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0-संस्थाध्यक्ष

पूर नाम _____

पद एवं सील _____

- 10- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचारधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2-प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

- 11- कार्यालय आदेश पंजीकृत।

मण्डलीय अनु-निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री _____ सहायक अध्यापक _____ विद्यालय _____ एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सारे सम्बन्धित द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी।

प्रतिहस्ताक्षरित _____

संस्थाध्यक्ष _____

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पदनाम _____